321

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग

क्रमाक प–5(2)(62) कार्मिक/क–3/जॉच/2018

जयपुर, दिनांकः 20 AUG 2019

आदेश

डॉ सुनिल कुमार जैन, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दण्डादेश क्रमाक प 1(198)कार्मिक/ क–3/2003 दिनाक 31 12 2014 के द्वारा डॉ जैन की एक वार्षिक वेतन वृद्धि सचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

डॉ बसल ने उक्त दण्डादेश दिनाक 31.12 2014 के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958 के नियम–33 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका को आदेश क्रमाक प 5(2)(22)कार्मिक/क–3/2015, दिनाक 21 11 2017 के द्वारा सारहीन होने के कारण खारिज की गई।

डॉ सुनिल कुमार जैन, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी ने उक्त दण्डादेश एव अपीलादेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958 के नियम–34 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन याचिका दिनाक 31 08 2018 को माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत की।

डॉ सुनिल कुमार जैन, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तुत याचिका मे डॉ. जैन ने तर्क किया है कि उन्हे राज्य सरकार द्वारा सऊदी अरब मे प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिए कार्य करने हेतु स्वीकृति जारी की गई थी। प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात् उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि मे वृद्धि हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किये गये थे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा न तो उनके आवेदन पत्रो के क्रम मे प्रतिनियुक्ति अवधि मे वृद्धि बाबत् मनाही की गई, न ही उन्हे राज्य सरकार मे कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेशित किया गया, न ही सऊदी अरब सरकार को उन्हे कार्यमुक्त करने के लिए कहा गया। डॉ जैन का यह भी तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनाक 19 07 99 व 08 10 99 उन्हे प्राप्त नही हुए।

जॉच अधिकारी द्वारा डॉ जैन के विरूद्ध अधिरोपित आरोप सख्या 01 केवल आशिक रूप मे ही प्रमाणित माना है तथा आरोप सख्या 02 दस्तावेजी एव मौखिक साक्ष्य के अभाव मे प्रमाणित नही माना है। इस विभाग द्वारा जारी दण्डादेश दिनाक 31 12 2014 मे डॉ जैन द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि बढाने हेतु समय–समय पर राज्य सरकार को आवेदन किये जाने का उल्लेख किया है। डॉ जैन द्वारा प्रदत्त दण्ड उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपो की तुलना मे समानुपातिक न होकर अधिक प्रतीत होता है।

अत माननीय राज्यपाल प्रस्तुत याचिका मे डॉ सुनिल कुमार जैन, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम–1958 के नियम–34 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका दिनाक 31 08 2018 को स्वीकार करते हुए दण्डादेश दिनाक 31 12 2014 एव अपीलादेश दिनाक 21 11 2017 को अपास्त करते हुए डॉ सुनिल कुमार जैन, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी को भविष्य मे इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, एव वह अपने पदीय कर्त्तव्य एव दायित्वो के निर्वहन मे किसी प्रकार की कोताही न बरतने की लिखित चेतावनी के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजू राजपाल)
शासन सयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमाक प 10(2)(216)रा भ/2018/1187 दिनाक 31 08 2018 के क्रम मे।
2. विशेषाधिकारी (वाई), मुख्यमत्री कार्यालय को बारकोड क्रमाक एफ19000411, दिनाक 20 05 2019 के क्रम मे।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग।
4. निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राज जयपुर।
5. कार्मिक (क–1/गो प्र0) विभाग, राज0 जयपुर (01 10 1962)
6. कार्मिक (क–3/निरीक्षण) विभाग 10(191)2003
7. डॉ सुनिल कुमार जैन, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी
   द्वारा– शासन उप सचिव,
   चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप–2)विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक – सीबी/सीएएस/एस–321/2019/742 दिनांक : 3/9/19

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3/जाच) विभाग, राज जयपुर के आदेश क्रमाक प 5(2)(62)कार्मिक/क–3/जाच/2018 दिनाक 20 08 2019 के क्रम मे।

2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज जयपुर.के क्रम मे।

3 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर/अजमेर।

4 जवाहर लाल नेहरू, चिकित्सालय, अजमेर/ एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश चिकित्सा अधिकारी को तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाना सुनिश्चित करावे।

5 डॉ0 सुनील कुमार जैन तत्का चि0अ0, जवाहर लाल नेहरू, चिकित्सालय, अजमेर हाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयुपर।

6 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सस्थापन/डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।

7 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।

8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।